



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-30042026-272175  
CG-MP-E-30042026-272175

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2066]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2066]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेल्वे (निर्माण)]

अधिसूचना

भोपाल, 15 अप्रैल, 2026

का.आ. 2139(अ).— केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (संसोधित अधिनियम 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेल्वे नि.-प्रथम भोपाल) की अधिसूचना संख्या-229, दिनांक 17 जनवरी 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेल्वे निर्माण-प्रथम भोपाल) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में समपार फाटक संख्या 238 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय समाचार पत्रों में से हिंदी भाषा के समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं अमृत दर्शन में दिनांक 24/01/2026 को तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 24/01/2026 को प्रकाशित किया गया है। और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

रेल मंत्रालय ,पश्चिम मध्य रेल्वे (निर्माण-प्रथम) भोपाल की अधिसूचना से केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम,1989 (रेल संसोधित अधिनियम 2008) की उप-धारा 2 के खण्ड 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तारीख 23 सितम्बर 2025 से अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंजजिला रायसेन को जिले में विशेष रेल परियोजना भोपाल – इटारसी खंड में रेलवे समपार फाटक क्रमांक 238 के बदले ऊपरी पुल का निर्माण कार्य परियोजना के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कराने का विनिश्चय किया गया। और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

अनुसूची						
मध्यप्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 238 के बदले रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।						
जिला: रायसेन						
तहसील : गौहरगंज ,उपखण्ड-ओबेदुल्लागंज						
ग्राम:बोरदा, प.ह.न.- 23						
क्रम संख्या	भूमिस्वामी का नाम-	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	अर्जित रकबा	सिंचित असिंचित/	भूमिका प्रकार
1	मजहर अली पिता अजहर अली	50	0.384	0.384	सिंचित	कृषि
कुल योग -				0.384	हेक्ट.	

[कंप्यूटर न. 333377 फा.सं. पमरे- बीपीएल सीओ इंजि//2025-ओ/ओ डीवायसीइ/ सी-1/ बीपीएल]  
इंदरजीत, मुख्य इंजीनियर निर्माण प्रथम

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[West Central Railway (Construction)]**  
**NOTIFICATION**

Bhopal, the 15th April, 2026

**S.O. 2139(E).**— The Central Government, under sub-section (1) of Section 20(A) of the Railways Act, 1989 (Amended Act 2008) (hereinafter referred to as “the said Act”), hereby, announces its intention to acquire the land specified in the notification of the Ministry of Railways, Government of India (West Central Railway, Con.-1, Bhopal), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No. 229 dated 17January 2026. The land specified in the said notification is required for the execution of the Railway Over bridge Construction Project in place of Level Crossing No. 238 inRaisen District, Madhya Pradesh, and the announcement was made regarding the intention to acquire such land.

In accordance with sub-section (4) of Section 20(A) of the said Act, the notification was published in local newspapers, namely in the Hindi language newspaper Dainik Bhaskarand Amrat Darsan on 24/01/2026 and in the English language newspaper Times of India on 24/01/2026. No objections have been received by the competent authority from any person, and the competent authority has submitted its report to the Central Government in accordance with sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act.

In exercise of the powers conferred under Clause 7(A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), theMinistry of Railways, West Central Railway (Con.-1) Bhopal by its notification dated

23 September 2025, has, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, authorized the **Sub-Divisional Officer, Goharganj, District Raisen**, as the **competent authority** for the execution of the **Railway Overbridge Construction Project in place of Level Crossing No. 238** under the **Special Railway Project Bhopal-Itarsi Section** in the district.

Now, therefore, the Central Government on receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E) of the Railway Act, 1989, hereby declares that it has been decided to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the aforesaid purpose. And whereas, the Central Government hereby further declares, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act., that, on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**"Brief description of land, with or without structures, to be acquired for the construction of a railway overbridge in place of level crossing number 238 in the State of Madhya Pradesh."**

<b>District:Raisen</b>						
<b>Tehsil:Goharganj , Upakhand –Obedullaganj</b>						
<b>Village- Borda , PatwariHalka No-23</b>						
<b>S. No</b>	<b>Name of Land Owner</b>	<b>Khasra Number</b>	<b>Total Area of Land (in he.)</b>	<b>Acquired Area of Land (in he.)</b>	<b>Land Irrigated /Non-Irrigated</b>	<b>Land- (Agricultural/ Diverted)</b>
<b>1</b>	Majhar Ali S/O Ajhar Ali	50	0.384	0.384	Irrigated	Agriculture
<b>Total-</b>				<b>0.384 Hec.</b>		

[Computer No. 333377 F.No. WCR-BPLC0ENGG/9/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

INDRAJEET VERMA, Chief Engineer (construction-I)